(165)

COURT FEE INDIA FIVE RUPEES / TWENTY RUPEES / FIVE RUPEES

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर केम्प, उज्जैन

2

प्रकरण क्रमांक /2018–19 अपील

निगरानी-0847/2019/रतलाम/भू.रा.सं.

पार्थी अभि. श्री किरण जुनेजा
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 29/6/19
अधीक्षक 29/6/19
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

मेसर्स हाड लेबोरेटरीज प्रा.लि.महूरोड़ रतलाम द्वारा संचालक एवं चेअरमेन प्रकाशचन्द पिता सोभागमल जी चौपड़ा निवासी राजपूत बोर्डिंग कॉलोनी आर.एन. टी. स्कूल के पास रतलाम म.प्र.
—— अपीलांट

विरूद्ध

1–श्रीमती अरूणा पति स्व. सुरेशचन्द्र जी चौपड़ा आयु 54 वर्ष, व्यवसाय गृहकार्य,
2– उज्जवल पिता सुरेशचन्द्र जी चौपड़ा आयु 17 वर्ष, धंधा पढ़ाई नाबालिग सरपरस्त माता श्रीमती अरूणा पति सुरेशचन्द्र जी चौपड़ा निवासीगण 13 सी रामबाग रतलाम म.प्र.
3–रिमझिम पिता सुरेशचन्द्र जी चौपड़ा पति कपिल सुराना आयु 27 वर्ष धंधा गृहकार्य निवासी 13 सी रामबाग रतलाम म.प्र. ——— रेस्पॉडेंट्स

70/29/6/19

C.F. 27.8.19

अपील अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

अपील बनाराजगी न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन द्वारा आदेश प्रकरण क्रमांक 834/2018–2019 में पारित आदेश दिनांक 14–06–2019 से असंतुष्ट होकर प्रा.लि. कंपनी के स्थान पर किये गये नामांतरण को निरस्त करने बाबत् ।

माननीय महोदय,

अपीलांट की ओर से निम्नलिखित अपील प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य

यह कि अपीलांट कंपनी, कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होकर कंपनी का रजिस्टर्ड नंबर 4045/1987 है कंपनी का नाम सर्वे नंबर 1098/5 व 1098/12 व 1098/18 रकबा 0.200,0.2.00, 0.050 हेक्टर की भूमि लगानी 1.64 पैसे, 1.64 पैसे, 0.41 पैसे की होकर कृषि भिन्न आशय की कस्बा रतलाम तहसील व जिला रतलाम में स्थित है व राजस्व कागजातों में अपीलार्थी कंपनी के नाम दर्ज होकर

निर.2

(197)

(165)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-0847/2019/रतलाम/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक की ओर से कमल सिंह अंजना उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 14/06/2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में नवीनतम संशोधन दिनांक 25/09/2018 से प्रभावशील है, संशोधन पश्चात मंडल को निगरानी में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। अत: यह निगरानी अधिकार विहीन होने से अग्राहय की जाती है। आवेदक समक्ष न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	